कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2828/प्रशा.अधि./वरि.सूची/17–18 दिनांक 02.08.2017 के द्वारा कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में चयनित/कार्यरत कार्मिकों की राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1957 के नियम 27 एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1999 के नियम 37 के प्रावधानान्तर्गत एतद् द्वारा जारी की गई थी। यह भी निर्देशित किया गया था कि जिन कार्मिकों को उक्त वरिष्ठता सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वे दिनांक 10.08.2017 तक मय दस्तावेज संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से अपनी आपत्ति विभागीय ई–मेल sogad2015@gmail.com पर दर्ज करवा सकेगें, निर्धारित समय तक किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं होने की स्थिति में उक्त वरिष्ठता सूची को स्थाई घोषित की जाकर पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी जावेगी। निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्मिक ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है, अतः उक्त वरिष्ठता सूची को एतद्द्वारा स्थाई घोषित किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2828/प्रशा.अधि./वरि.सूची/17–18 दिनांक– 18/9/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. समस्त उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि इस स्थाई वरिष्ठता सूची को संबंधित कार्मिकों की अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(प्रशासन)